बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014
संख्या–व.सं. / 71 / 2022 - 87

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह भा0व0से0
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 15, दिनांक– 07/02/2024

विषय – भारतमाला परियोजना के तहत दरभंगा एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत बलभद्रपुर–बेला–नवादा (47.00–89.21 कि०मी०) पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.2213 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अन्तिम स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/155194/2022/966 दिनांक 06.03.2023

महोदया,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई थी। सैद्धान्तिक सहमति पत्र में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 725 दिनांक 06.09.2023 एवं पत्रांक 32 दिनांक 09.01.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है जो निम्नवत् है–

क्रम सं	MoEF&CC क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्र दिनांक 06.03.2023 में निहित कंडिका	अनुपालन
A 1	The cost of compensatory afforestation on the CA land (8 ha) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण मद की कुल राशि रू० रू० 41,42,168 / – (रूपये एकतालीस लाख बियालीस हजार एक सौ अड़सठ) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।
2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 3.2213 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 3.2213 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 30,85,297 / – (रूपये तीस लाख पच्चासी हजार दौ सौ सनतानवें) मात्र को

	30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (c) No. 202/1995 and as per the guide lines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc (Pt.II) dated 18/09/2003, as Well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-Fc dated 05/02/2009 and letter no. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06-01-2022 in this regard.	ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा NPV एवं CA मद की राशि रू0 70,67,385.00 (+) रू. 1,60,080.00 अर्थात कुल रू. 72,27,465.00 (रूपये बहत्तर लाख सताईस हजार चार सौ पैसठ) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में क्रमशः दिनांक 25.04.2023 एवं दिनांक 23.06.2023 जमा करा दी गयी है जिसका क्रमशः UTR No. P115230237061082 एवं UTR No.-P174230249514476 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4	The KML files of the area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking stage-II approval.	क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित स्थल का KML files e-Green watch portal पर अपलोड कर दिया गया है।
5	The User agency shall be uploaded/submitted duly attested (with the signature of the concerned DFO and user agency) toposheet map with clearly delineated forest land proposed for diversion on it before the issuance of Stage-I approval.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं दरभंगा द्वारा हस्ताक्षरित टोपोशीट मानचित्र को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
6	The User agency shall be uploaded/ submitted tree translocation plan before the issuance of Working Permission.	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 1123 दिनांक 14.10.2023 एवं ज्ञापांक 98 दिनांक 25.01.2024 द्वारा अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
7	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District collector.	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं दरभंगा द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।
8	Violation of any of these conditions will amount to violation. of Forest (conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of chapter 1 of the Handbook of comprehensive Guidelines of Forest (conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/ 2017-FC Dated 28.03.2019.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का नहीं करने से संबंधित Undertaking समर्पित की गयी है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
9	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Stage-I में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन Ministry website पर upload कर दिया गया है।
	Legal status of forest land proposed for	

		प्रस्तावित पथांश में अपयोजित होने वाली वन भूमि के Legal status (वैधानिक स्थिति) में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 8.00 ha. degraded forest land (site- Manjhgaye PF, Jhajha range, Compartment No. 76 334 & 329 under Jamui Forest Division) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण मद की कुल राशि रू० रू० 41,42,168/— (रूपये एकतालीस लाख बियालीस हजार एक सौ अड़सठ) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert committee, shall also be charged by the state Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an Undertaking to this effect.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, अंतिम आदेश प्राप्त होने के उपरान्त भी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त NPV की राशि देय होगी तो उसका भुगतान किया जायेगा।
4	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision and direction of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. Further, in view of the State Government's recommendation, such number of trees whose removal is unavoidable, and whose translocation (species, number and girth to be decided by SFD) is practicable, will be translocated to the extent possible at the cost of user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के Supervision में आवश्यकतानुसार कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना के आलोक में वृक्षों का पातन एवं पुर्नस्थापन किया जायेगा।
5	The User Agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्त्तों के अनुपालन से संबंधित वचनबद्धता समर्पित की गयी है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
6 (a)	The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activities do not damage the nearby forest flora and fauna.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में इन शर्त्तों का अनुपालन किया जायेगा।
(b)	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में इन शर्त्तों का अनुपालन किया जायेगा।
7	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest, & Climate Change.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय की अनुमति के बिना परियोजना lay out plan में बदलाव नहीं किया जायेगा।
8 a	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेसी द्वारा आश्वासन दिया गया है वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्य उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
b	The period of diversion under this approval	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि

	shall be co-terminus with the period of the project life/ requirement.	यह शर्त्त उन्हें मान्य है।
c	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	प्रयोक्ता एजेसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना किसी दुसरे विभाग/संस्था/व्यक्ति को वन भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।
9	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर निर्गत वन (संरक्षण) संबंधी सभी आदेश एवं नियमों का पालन किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सभी अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन किया जा चुका है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार को विषयगत परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.2213 हे० सुरक्षित वन घोषित, भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त

विश्वासभाजन,
ह०/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./71/2022–87 दिनांक 07/02/2024

प्रतिलिपि – परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/2/24

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

<table>
<tr><td>1</td><td>Name of Regional Office</td><td>Integrated Regional Office Ranchi</td></tr>
<tr><td>2</td><td>State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates</td><td>Bihar/Darbhanga and Samastipur/ Forest Division Darbhanga and Samastipur</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Name of User Agency nature of proposal</td><td>The Project Director, NHAI, PIU Muzaffapur</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Extent of forest area involved</td><td>3.2213 ha</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Whether Original, or extension</td><td>Original</td></tr>
<tr><td>6</td><td>If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Date of 1st stage Clearance</td><td>06.03.2023</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Extent of CAMPA charges head wise viz.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a. Compensatory Afforestation</td><td>41,42,168/-</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Additional CA</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>C. Penal NPV</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>d. Catchment Area Treatment</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>e. Wildlife Management Plan</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>g. Net present Value</td><td>30,85,297/-</td></tr>
<tr><td></td><td>h. Any other charges/Levies (Pl Specify)</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph 9</td><td>
<table>
<tr><th>S. No</th><th>MODE Remtt.</th><th>UTR No. and Dated</th><th>Amount</th><th>Head</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">RTGS</td><td rowspan="2">P115230237061082 dt. 25.04.2023</td><td>30,85,297/-</td><td>NPV</td></tr>
<tr><td>39,82,088/-</td><td>CA</td></tr>
<tr><td>P174230249514476 dt. 23.06.2023</td><td>1,60,080/-</td><td>CA</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>72,27,465/-</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Whether deposited by RTGS/NEFT, if so, the particulars & date of remittance</td><td>All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 25.04.2023 and 23.06.2023</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bank [Corporation Bank, Lodhi Complex] in which deposited, with date of deposition</td><td>All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 25.04.2023 and 23.06.2023</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Any other remarks</td><td></td></tr>
</table>

7/2/24

Signature of APCCF (CAMPA),
-Cum-Nodal Officer (FC)

फोन न०–08986153143 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

(195)

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक–29.07.2022 को अरण्य विहार परिसर, मुजफ्फरपुर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में समस्तीपुर जिलान्तर्गत भारतमाला परियोजना के तहत बलभद्रपुर से बेला नवादा (47.00 – 89.21 कि0मी0) के बीच वन भूमि में 04 Lane green field alignment Inter Corridor के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कुल 1.4694 हे0 वन भूमि अपयोजन के फलस्वरूप निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले वृक्षों के पुनर्स्थापन/ पातन संबंधी वृक्ष सुरक्षा योजना हेतु बैठक में लिये गये निर्णय के विरूद्ध परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, दरभंगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्रांक–872 दिनांक–19.10.2023 एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर के अनुशंसा के आलोक में दिनांक–25.01.2024 को पुनः बैठक की कार्यवाही।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना कार्यालय आदेश संख्या–03 दिनांक–01.10.2019 द्वारा वृक्ष सुरक्षा योजना अन्तर्गत वृक्षों के पातन/ पुनर्स्थापन पर निर्णय लेने हेतु समिति का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समस्तीपुर जिलान्तर्गत भारतमाला परियोजना के तहत बलभद्रपुर से बेला नवादा (47.00 – 89.21 कि0मी0) के बीच वन भूमि में 04 **Lane green field alignment Inter Corridor** के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कुल 1.4694 हे0 वन भूमि अपयोजन के फलस्वरूप निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले वृक्षों के पुनर्स्थापन/ पातन संबंधी निर्णय लेने हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुएः–

1. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर – अध्यक्ष
2. वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर – सदस्य
3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर – सदस्य सचिव

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना (विकास एवं वन संरक्षण) प्राप्ति संख्या 77 दिनांक 01/02/2024

कार्यवाही

वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर प्रमंडल, समस्तीपुर–सह– सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत भारतमाला परियोजना के तहत बलभद्रपुर से बेला नवादा (47.00 – 89.21 कि0मी0) के बीच वन भूमि में 04 **Lane green field alignment Inter Corridor** के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कुल 1.4694 हे0 वन भूमि अपयोजन के फलस्वरूप निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले निर्माणाधीन स्थल पर कुल 370 वृक्ष अवस्थित है। पूर्व में दिनांक–29.07.2022 को वृक्ष सुरक्षा योजना की आयोजित बैठक में "370 वृक्षों में से 60 से0मी0 गोलाई से उपर 97 वृक्षों (60–90 से0मी0 के अशोक–1, बकैन–4, कदम–3, पीपल–1, सेमल–5 कुल–13 वृक्षों को छोड़कर) का

पातन एवं 60 से0 मी0 से कम गोलाई के 260 एवं 60 से 90 से0मी0 के 13 वृक्षों अर्थात कुल 273 वृक्षों का पुनर्स्थापन का निर्णय लिया गया था''।

इस सन्दर्भ में परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, दरभंगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पत्रांक–872 दिनांक–19.10.2023 से अनुरोध किया है कि कुछ प्रजातियों का पुनर्स्थापन सफल नहीं होने के कारण पूर्व में वृक्ष सुरक्षा योजना के तहत लिये गये निर्णय मे संशोधन की आवश्यकता है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर ने भी पत्रांक–99 दिनांक–13.01.2023 से वृक्ष सुरक्षा योजना की पुनः बैठक आयोजित कर निर्णय लेने का अनुशंसा किया है।

वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर–सह– सदस्य बैठक में उपस्थित है।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त समस्तीपुर जिलान्तर्गत भारतमाला परियोजना के तहत बलभद्रपुर से बेला नवादा (47.00 – 89.21 कि0मी0) के बीच वन भूमि में 04 Lane **green field alignment Inter Corridor** के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कुल 1.4694 हे0 वन भूमि अपयोजन के फलस्वरूप निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले वृक्षों के पुनर्स्थापन / पातन पर निर्णय लिया गया कि :–

1. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 370 वृक्षों में से 60 से0मी0 गोलाई तक के कुल–170 वृक्षों का पुनर्स्थापन एवं 200 वृक्षों का पातन वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर की देख–रेख में परियोजना निमार्ण कार्य पूर्ण कराया जायेगा। पुनर्स्थापन होने वाले वृक्षों की सूची निम्नवत् है:–

क्रम सं0	पथ का नाम	पुनर्स्थापित होने वाले वृक्षों की संख्या		कुल संख्या
		बायॉ भाग	दायॉ भाग	
01.	एस0एच0–50	48	7, 9, 10, 13, 14, 15, 17	8
02.	जटमलपुर–हायाघाट धुरलक पथ	1, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 71,	74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 122, 123, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134,	115

			152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 165, 167, 168.	
03	जटमलपुर– हायाघाट पथ	1, 2, 3, 6, 8, 11, 15, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52	—	26
04.	बागमती बॉध	—	1, 2, 5, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69	21
कुल योगः–		77	93	170

1. पातित होने वाले वृक्षों से प्राप्त काष्ठ/ जलावन को विभागीय वनागार में संग्रहित कर लौट लगाने इत्यादि कार्यो के लिए विभागीय अनुसूची दर के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी से राशि की मॉग की जायेगी जिसका व्यय वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर की अनुमति से किया जायेगा। पातित होने वाले वृक्षों की वृक्ष– पंजी संधारित कर प्रत्येक वृक्ष के पातन से प्राप्त काष्ठ/ जलावन की मापी पातन– पंजी में अंकित कर परिवहन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से विभागीय वनागार में भेजा जायेगा।

7. परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों के पातन के दौरान वृक्ष पंजी, पातन पंजी, वनागार की गेट पंजी, लौट निर्माण पंजी इत्यादि अभिलेख तैयार किया जायेगा। वृक्षों के पातन से लेकर लकड़ियों के वनागार में पहुँचने तक की प्रक्रिया पुरी तरह पारदर्शी रखी जाय एवं इस कार्य हेतु विशेष रूप से किसी वनरक्षी/ वनपाल को प्रतिनियुक्त किया जाय ताकि किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित कर्मी की जिम्मेवारी निर्धारित की जा सके। वृक्षों के पातन एवं भण्डारण तक की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये रखने की पूर्ण जबाबदेही संबंधित वनों के क्षेत्र पदाधिकारियों की होगी।

8. प्रयोक्ता एजेन्सी से वृक्षों के पातन के पश्चात लकड़ियों के परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के चालक के पूर्ण पता के साथ वाहन का निबंधन संख्या वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर को उपलब्ध कराया जायेगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सगस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा परिवहन में प्रयुक्त किये जाने वाले वाहनों को चालक के साथ अपने कार्यालय से पंजीकृत किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी कि पंजीकृत वाहनों से हीं लकड़ियों का परिवहन वनागार तक किया जायेगा। परिवहन में प्रयुक्त वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने पर इसकी सूचना वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर को देते हुए उसके स्थान पर नये वाहन का पंजीकरण किया जायेगा। परिवहन में प्रयुक्त सभी वाहन जी0पी0एस0 युक्त रहेंगे।

9. वृक्षों के पातन एवं परिवहन कार्य पर नियंत्रण हेतु प्रतिनियुक्त वनरक्षी/ वनपाल द्वारा पातित किये जाने वाले वृक्ष पर अंकित क्रमांक के साथ पूरे वृक्ष का फोटो लेकर वन प्रमंडल पदाधिकारी को भेजेंगे। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वनरक्षी से प्राप्त फोटो को फोल्डर में संरक्षित रखा जायेगा ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके।

(192)

10. पुनर्स्थापन योग्य कुल 170 वृक्षों की शाखाओं/टहनियों को काटने के उपरान्त Fungicide Blitox का लेप कटी हुई टहनियों/ शाखाओं के खुले भाग पर किया जायेगा। उखाड़े गये वृक्षों को नये स्थान पर पुनर्स्थापित करने के समय Insecticide Chlorpyriphos, fungicide Bavistine, Phosphate fertilizer के साथ–साथ जड़ों को विकसित करने वाले hormone के लिए Indol acetic acid (IAA) का उपयोग किया जायेगा। पुनर्स्थापित 170 वृक्षों की देख–रेख तीन वर्षो तक प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा, जिसका अनुश्रवण विभागीय स्तर से किया जायेगा। यदि पुनर्स्थाापित वृक्ष उचित देख–रेख के अभाव में सूख जाते हैं या मृत प्राय हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रयोक्ता एजेन्सी पुनः 10–12 फीट उँचाई के पौधों का क्रय कर बॉस गैबियन के साथ पौधों का रोपण करेगा एवं इस पर होने वाला व्यय एजेन्सी द्वारा वहन किया जायेगा।

11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किसी Arborist या वैज्ञानिक को मानदेय पर रख कर स्थानान्तरित वृक्षों का Scientific अनुश्रवण कराया जायेगा जिसके मानदेय की राशि उनके द्वारा भुगतान की जायेगी। Scientific अनुश्रवण के क्रम में वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सलाह को मानना प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक होगा। इसका अनुश्रवण वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

6. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति के उपरान्त यह आदेश प्रभावी होगा।

समिति के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

25/1/2024	25/1/2024	25/1/24
वन प्रमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर।	वन संरक्षक मुजफ्फरपुर अंचल, मुज0	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक– 98 दिनांक– 25-01-2024

प्रतिलिपि– 1. वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर को उनके कार्यालय पत्रांक–99 दिनांक–13.01.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25/1/2024
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
मुजफ्फरपुर।

(188)

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक–14.10.2023 को अरण्य विहार परिसर, मुजफ्फरपुर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में भारतमाला परियोजना के तहत दरभंगा जिलान्तर्गत बदभद्रपुर– बेला नवादा (47.00–89.21 कि0मी0) पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.2213 हे0 वन भूमि अपयोजन के फलस्वरूप परियोजना निर्माण में बाधा उत्पन्न करने वाले वृक्षों के पुनर्स्थापन/ पातन संबंधी वृक्ष सुरक्षा योजना हेतु बैठक की कार्यवाही।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना कार्यालय आदेश संख्या–03 दिनांक–01.10.2019 द्वारा वृक्ष सुरक्षा योजना अन्तर्गत वृक्षों के पातन/ पुनर्स्थापन पर निर्णय लेने हेतु समिति का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतमाला परियोजना के तहत दरभंगा जिलान्तर्गत बदभद्रपुर– बेला नवादा (47.00–89.21 कि0मी0) पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.2213 हे0 वन भूमि अपयोजन के फलस्वरूप परियोजना निर्माण में बाधा उत्पन्न करने वाले वृक्षों के पुनर्स्थापन/ पातन पर निर्णय लेने हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुए:–

1. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर – अध्यक्ष
2. वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर – सदस्य
3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा – सदस्य सचिव

कार्यवाही

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा–सह– सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि भारतमाला परियोजना के तहत दरभंगा जिलान्तर्गत बदभद्रपुर– बेला नवादा (47.00–89.21 कि0मी0) पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.2213 हे0 वन भूमि अपयोजन के फलस्वरूप परियोजना निर्माण में स्थल पर विभिन्न प्रजाति के कुल 188 वृक्ष अवस्थित है। प्रयोक्ता एजेन्सी के साथ संयुक्त निरीक्षण करने के उपरान्त पाया गया कि इस परियोजना निर्माण के क्रम में बाधक बने कुल 188 वृक्षों में से 166 का पातन, 22 वृक्षों का पुनर्स्थापन कर परियोजना निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सकता है।

वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर–सह– सदस्य बैठक में उपस्थित हैं।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारतमाला परियोजना के तहत दरभंगा जिलान्तर्गत बदभद्रपुर– बेला नवादा (47.00–89.21 कि0मी0) पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.2213 हे0 वन भूमि अपयोजन के फलस्वरूप परियोजना निर्माण के क्रम में बाधा उत्पन्न करने वाले वृक्षों के पुनर्स्थापन/ पातन पर निर्णय लिया गया कि :–

1. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 188 वृक्षों में से 172 वृक्षों का पातन, 16 वृक्षों का पुनर्स्थापन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा की देख–रेख में निम्नवत् कराया जायेगाः–

क्रम सं0	साईट का नाम	भाग	पातन	पुनर्स्थान	कुल
01.	दरभंगा रोसड़ा पथ	दाया भाग	7	1 (वृक्ष सं0–9,)	8
		बायाँ भाग	2	2 (वृक्ष सं0–3, 4)	4
02.	दोनार–बेनीपुर पथ	दाया भाग	52	1 (वृक्ष सं0–32)	53
		बायाँ भाग	30	0	30
03.	सकरी– दरभंगा पथ	दाया भाग	59	1 (वृक्ष सं0–92)	60
		बायाँ भाग	22	11 (वृक्ष सं0–1,2,3,4,6,7,8,12, 17, 26,32ए)	33
		कुल योगः–	172	16	188

2. प्रशसनिक नियंत्रण हेतु पातित होने वाले वृक्षों से प्राप्त काष्ठ/ जलावन का भंडारण दरभंगा प्रक्षेत्र अन्तर्गत आई0टी0आई0 रामनगर एवं बुच्चा स्थायी वनागार में किया जायेगा।

3. पुनर्स्थापन योग्य कुल 16 वृक्षों की शाखाओं/टहनियों को काटने के उपरान्त **Fungicide Blitox** का लेप कटी हुई टहनियों/ शाखाओं के खुले भाग पर किया जायेगा। उखाड़े गये वृक्षों को नये स्थान पर पुनर्स्थापित करने के समय **Insecticide Chlorpyriphos,fungicide Bavistine, Phosphate fertilizer** के साथ–साथ जड़ों को विकसित करने वाले **hormone** के लिए **Indol acetic acid (IAA)** का उपयोग किया जायेगा। पुनर्स्थापित 16 वृक्षों की देख–रेख तीन वर्षो तक प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा, जिसका अनुश्रवण विभागीय स्तर से किया जायेगा। यदि पुनर्स्थाापित वृक्ष उचित देख–रेख के अभाव में सूख जाते हैं या मृत प्राय हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रयोक्ता एजेन्सी पुनः 10–12 फीट उँचाई के पौधों का क्रय कर बॉस गैबियन के साथ पौधों का रोपण करेगा एवं इस पर होने वाला व्यय एजेन्सी द्वारा वहन किया जायेगा।

4. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किसी **Arborist** या वैज्ञानिक को मानदेय पर रख कर स्थानान्तरित वृक्षों का **Scientific** अनुश्रवण कराया जायेगा जिसके मानदेय की राशि उनके द्वारा भुगतान की जायेगी। **Scientific** अनुश्रवण के क्रम में वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सलाह को मानना प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक होगा। इसका अनुश्रवण वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5. परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों के पातन एवं पुनर्स्थापन के दौरान वृक्ष पंजी, पातन पंजी, वनागार की गेट पंजी, लौट निर्माण पंजी इत्यादि अभिलेख तैयार किया जायेगा। वृक्षों के पातन से लेकर लकड़ियों के वनागार में पहुँचने तक की प्रक्रिया पुरी तरह पारदर्शी रखी जाय एवं इस कार्य हेतु विशेष रूप से किसी वनरक्षी/ वनपाल को प्रतिनियुक्त किया जाय ताकि किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित कर्मी की जिम्मेवारी निर्धारित की जा

(186)

सके। वृक्षों के पातन एवं भण्डारण तक की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये रखने की पूर्ण जबावदेही संबंधित वनों के क्षेत्र पदाधिकारियों की होगी।

6. प्रयोक्ता एजेन्सी से वृक्षों के पातन के पश्चात लकड़ियों के परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के चालक के पूर्ण पता के साथ वाहन का निबंधन संख्या वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा को उपलब्ध कराया जायेगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा द्वारा परिवहन में प्रयुक्त किये जाने वाले वाहनों को चालक के साथ अपने कार्यालय से पंजीकृत किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी कि पंजीकृत वाहनों से हीं लकड़ियों का परिवहन वनागार तक किया जायेगा। परिवहन में प्रयुक्त वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने पर इसकी सूचना वन प्रमंडल पदाधिकारी को देते हुए उसके स्थान पर नये वाहन का पंजीकरण किया जायेगा। परिवहन में प्रयुक्त सभी वाहन जी0पी0एस0 युक्त रहेंगे।

7. वृक्षों के पातन एवं परिवहन कार्य पर नियंत्रण हेतु प्रतिनियुक्त वनरक्षी/ वनपाल द्वारा पातित किये जाने वाले वृक्ष पर अंकित क्रमांक के साथ पूरे वृक्ष का फोटो लेकर वन प्रमंडल पदाधिकारी को भेजेंगे। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वनरक्षी से प्राप्त फोटो को फोल्डर में संरक्षित रखा जायेगा ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके।

समिति के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

14/10/23	14/10/23	14/10/2023
वन प्रमंडल पदाधिकारी मिथिला प्रमंडल, दरभंगा।	वन संरक्षक मुजफ्फरपुर अंचल, मुज0	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक– 1123 दिनांक–14-10-2023

प्रतिलिपि– 1. वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर/ वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/10/23

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
मुजफ्फरपुर।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highway Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यन्वयन इकाई - दरभंगा
H/O श्री एस.एन. मिश्रा, वार्ड नं.-17, प्रोफेसर कॉलोनी, दरभंगा (बिहार)-846004
Project Implementation Unit, Dharbanga
H/O: Shri S.N. Mishra, Ward No. : 17, Professor Colony Dighee West Darbhanga (Bihar)-846004
दुरभाष/फैक्स/Tel./Fax:06272-250194,ई-मेल/E-mail:darbhanga@nhai.org
ई-मेल/E-mail:nhaidarbhanga@gmail.com,plu_darbhanga@rediffmail.com

सं0– माराराप्रा / मुजफ्फरपुर / वन / रा०रा०–119डी / 462 **दिनांक : 26.06.2023**

सेवा में,

उप वन संरक्षक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग,
पटना – 800014

विषय– भारतमाला परियोजना के तहत दरभंगा एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत बलभद्रपुर–बेला–नवादा (47.00–89.21 कि०मी०) पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.2213 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर **सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पुनरीक्षित अनुपालन समर्पित करने के संबंध में।**

संदर्भ– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक **FP/BR/ROAD/155194/2022/966** दिनांक 06.03.2023
2. आपका पत्रांक व.सं. / 71 / 2022–200 दिनांक 21.03.2023
3. इस कार्यालय का पत्रांक 208, दिनांक 27.04.2023
4. आपका पत्रांक व.सं. / 71 / 2022–370, दिनांक 24.05.2023

महाशय,

उपयुर्क्त विषयक संदर्भित पत्र सं० (3) के अनुक्रम एवं आपके संदर्भित पत्र सं० (4) के अनुपालन में अतिरिक्त क्षतिपूरक वन रोपन मद में रू. 1,60,080/– की राशि मंत्रालय के वेबसाईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में NEFT के माध्यम से जमा करा दी गई है जिसका UTR No. P174230249514476, दिनांक 23.06.2023 है।

2. साथ ही सैद्धान्तिक सहमति की कंडिका (A) एवं (B) में अधिरोपित शर्तों का कंडिकावार पुनरीक्षित अनुपालन इस पत्र के साथ **"Annexure"** के रूप में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

3. अनुरोध है कि 3.2213 हे० वन भूमि के अपयोजन प्रस्ताव पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अंतिम स्वीकृति (Stage-II) प्रदान करने की कृपा की जाए। साथ ही, सैद्धान्तिक स्वीकृति की अंतिम कंडिका के आलोक में परियोजना कार्यान्वयन हेतु working permission निर्गत करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,
राम प्रीत
26.06.23
(राम प्रीत पासवान)
परियोजना निदेशक

अनुलग्नकः– यथोक्त।

प्रतिलिपिः– 1. क्षेत्रीय अधिकारी–बिहार, भा.रा.रा.प्रा., पटना–को सूचनार्थ समर्पित।
2. M/s SA Infrastructure को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Navneet/Hall/D: 2020 Letter

"Annexure"

Sub.: In-principle (Stage-I) approval of Central Government under Forest (Conservation) Act 1980 for diversion of 3.2213 ha forest land in favour of NHAI, PIU-Muzaffarpur for construction of Four Lane green field alignment Inter corridor from Balbhadrapur to Bela Nawada (47.00-89.21 km), NH-119D Road under Bharatmala Pariyojana in Darbhanga and Samastipur district of Bihar: **Submission of revised compliance report for obtaining Stage-II/Final approval- Reg.**

Ref.:
1. MoEF&CC, IRO-Ranchi letter no. FP/BR/ROAD/155194/2022/966 dated 06.03.2023.
2. Dy. CF, DoEF&CC, Patna letter no. व.सं./71/2022-200 dated 21.03.2023.
3. This office letter no. 208 dated 27.04.2023
4. Dy. CF, DoEF&CC, Patna letter no. व.सं./71/2022-370 dated 24.05.2023.

A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

Sl. No.	Condition	Compliance
1.	The cost of compensatory afforestation on the CA land (8 ha.) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	Cost of Compensatory Afforestation (CA) amounting to Rs. 39,82,088/- & Net Present Value (NPV) amounting to Rs. 30,85,297/- (Total amount of CA & NPV Rs. 70,67,385/-) as per demand received from State Forest Department vide letter no. व.सं./71/2022-200 dated **21.03.2023** has been deposited in Bihar CAMPA account through NEFT/RTGS e-challan generated from Parivesh Portal. Copy of challan & payment receipt are enclosed. Payment UTR No. P115230237061082 dated 25.04.2023. The difference amount of Compensatory Afforestation (CA) due to change in labour rates, amounting to Rs.1,60,080/- as per demand received from State Forest Department vide letter no. o.la./71/2022-370 dated 24.05.2023 has also been deposited in Bihar CAMPA account through NEFT/RTGS e-challan generated from Parivesh Portal. Copy of challan & payment receipt are enclosed. Payment UTR No. P174230249514476 dated 23.06.2023.
2.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 3.2213 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (c) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and letter No. 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 6/1/2022 in this regard.	
3.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	
4.	The KML files of the area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking Stage-II approval.	The KML files of the area to be diverted & CA area shall be uploaded on e-Green watch portal with all requisite details.
5.	The User agency shall be uploaded/submitted duly attested (with the signature of the concerned DFO and	Agreed.

Project Director
N.H.A.I.
PIU-Muzaffarpur

	user agency) toposheet map with clearly delineated forest land proposed for diversion on it before the issuance of Stage-II approval.	
6.	The User agency shall be uploaded/submitted tree translocation plan before the issuance of Working Permission.	The tree translocation plan/tree protection plan has already been uploaded in Part-II on Parivesh Portal.
7.	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the Issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA 2006 certificate has been issued by District Collector, Samastipur vide letter no. 4407 dated 13.12.2022 & by District Collector, Darbhanga vide letter no. 174 dated 30.01.2023. The same has been forwarded to APCCF-Cum-Nodal Officer (CAMPA) vide DFO, Samastipur letter no. 45 dated 09.01.2023 & DFO, Darbhanga letter no. 401 dated 28.02.2023 (copies enclosed).
8.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	Agreed.
9.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	Compliance report shall be uploaded on Parivesh e-portal.

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

Sl. No.	Condition	Compliance
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Agreed.
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 8 ha. degraded forest land (Site - Manjhgaye PF, Jhajha range, Compartment No. 76, 334 & 329 under Jamui Forest Division) at the cost of the user agency, as far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	Pertains to State Forest Department.
3.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	Undertaking by User Agency with regard to additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, has already been given and it is uploaded in Part-I under additional Information on Parivesh Portal.
4.	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision and permission of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. Further, in view of the State Government's recommendation, such number of trees whose	Agreed.

Project Director
N.H.A.I.
PIU-Muzaffarpur

	removal is unavoidable, and whose translocation (species, number and girth to be decided by SFD) is practicable, will be translocated to the extent possible at the cost of user agency.	
5.	The State Forest Department should raise Strip Plantation on both sides of the road as per the IRC norms.	Pertains to State Forest Department.
6.	(a) The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activities do not damage the nearby forest flora and fauna. (b) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	Agreed.
7.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	Agreed.
8.	(a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. (b) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life/ requirement. (c) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior Approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	Agreed.
9.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	Agreed.

Note: Undertaking w.r.t. conditions mentioned at para-B (1 to 9) is also enclosed.

Project Director
NHAI, PIU-Muzaffarpur

Project Director
N.H.A.I.
PIU-Muzaffarpur

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-06-2023

Agency Name.	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
Application No.	61155194716
MoEF/SG File No.	FP/BR/ROAD/155194/2022
Location.	BIHAR
Address.	Office of the project director, P.I.U., No.26, 1st Floor, V.G.P. Nagar West, Vazhudhareddy Post, Viluppuram-605401.Viluppuram
Amount(in Rs)	160080/-

Amount in Words :One Lakh Sixty Thousand and Eighty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506261155194716 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-06-2023

Agency Name.	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
Application No.	61155194716
MoEF/SG File No.	FP/BR/ROAD/155194/2022
Location.	BIHAR
Address:	Office of the project director, P.I.U., No.26, 1st Floor, V.G.P. Nagar West, Vazhudhareddy Post, Viluppuram-605401. Viluppuram
Amount(in Rs)	160080/-

Amount in Words :One Lakh Sixty Thousand and Eighty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506261155194716 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं. / 71 / 2022

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी,
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मुजफ्फरपुर। पटना 14, दिनांक–

विषय – भारतमाला परियोजना के तहत दरभंगा एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत बलभद्रपुर–बेला–नवादा (47.00–89.21 कि०मी०) पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.2213 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/155194/2022/966 दिनांक 06.03.2023 एवं आपका कार्यालय पत्रांक 208 (अनु0) दिनांक 27.04.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/ROAD/155194/2022/966 दिनांक 06.03.2023 द्वारा विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 3.2213 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन प्रस्ताव पर दो भागों (भाग–A एवं B) में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृति के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 200 दिनांक 21.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण मद में रू. 39,82,088 / – एवं NPV मद में रू. 30,85,297 / – अर्थात कुल रू० 70,67,385 / – (रूपये सत्तर लाख सड़सठ हजार तीन सौ पच्चासी) मात्र को कैम्पा लेखा में जमा कराते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपत शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। आपके कार्यालय पत्रांक 208 (अनु0) दिनांक 27.04.2023 द्वारा मांग की गयी राशि जमा कराते हुए कार्यादेश की मांग की गयी है।

3. इस कार्यालय के पत्रांक 200 दिनांक 21.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण मद में रू. 39,82,088 / – की मांग की गयी थी, जिसका आकलन रू० 373 प्रति मानव दिवस के आधार पर किया गया था। वर्त्तमान में श्रम संसाधन विभाग द्वारा मजदूरी दर में वृद्धि करते हुए रू0 388 प्रति मानव दिवस किया गया है।

4. वर्तमान मजदूरी दर के आधार पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 41,42,168 / – (रूपये एकतालीस लाख बियालीस हजार एक सौ अड़सठ) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

इस प्रकार वर्तमान मजदूरी दर के आधार पर क्षतिपूरक वनरोपण मद हेतु रू. 41,42,168.00 (–) आपके द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण मद में जमा की गयी राशि रू. 39,82,088.00 अर्थात अंतर की राशि रू. 1,60,080.00 मात्र को कैम्पा लेखा में जमा कराने की आवश्यकता है।

उक्त राशि का आकलन वर्त्तमान मजदूरी दर रू० 388/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

5. **उपर्युक्त CA मद की अंतर की राशि रू. 1,60,080/– (रूपये एक लाख साठ हजार अस्सी) मात्र को मंत्रालय के वेब–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।**

6. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को UTR No एवं दिनांक के साथ e-challan की मूल प्रति दी जाय।

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र के भाग–A में सन्निहित 1–9 शर्त्तें तथा भाग–B में सन्निहित 1–9 शर्त्तों का संशोधित अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(नन्द कुमार मांझी)
उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक– व.सं./71/2022–370 दिनांक– 24/05/2023

प्रतिलिपि– वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला एवं समस्तीपुर/वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.05.23
(नन्द कुमार मांझी)
उप वन संरक्षक।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई - मुजफ्फरपुर
पावापुरी विहार (द्वितीय तल), भगवानपुर, मुजफ्फरपुर
Project Implementation Unit-Muzaffarpur
Pawapuri Vihar (2nd Floor) Bhagwanpur, Muzaffarpur-842001
E-mail :-muz@nhai.org, piumuzaffarpur@gmail.com

सत्यमेव जयते

सड़के ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी

सं0– भारारााप्रा/मुजफ्फरपुर/वन/रा०रा०–119डी/२०८ दिनांक : 27.04.2023

सेवा में,

उप वन संरक्षक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग,
पटना – 800014

विषय– भारतमाला परियोजना के तहत दरभंगा एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत बलभद्रपुर–बेला–नवादा (47.00–89.21 कि०मी०) पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.2213 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर **सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन के संबंध में।**

संदर्भ– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/155194/2022/966 दिनांक 06.03.2023
2. आपका पत्रांक व.सं./71/2022–200 दिनांक 21.03.2023

महाशय,

विषयांकित परियोजना हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.2213 हे० वन भूमि के अपयोजन प्रस्ताव पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों एवं आपके संदर्भित पत्रांक (2) के आलोक में क्षतिपूरक वनीकरण की राशि रू. 39,82,088/– एवं NPV की राशि रू. 30,85,297/– (कुल राशि रू. 70,67,385/–) मंत्रालय के वेबसाईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में NEFT के माध्यम से जमा करा दी गई है जिसका UTR No. P115230237061082, दिनांक 25.04.2023 है। सैद्धान्तिक सहमति की कंडिका (A) एवं (B) में अधिरोपित शर्तों का कंडिकावार अनुपालन इस पत्र के साथ **"Annexure"** के रूप में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनुरोध है कि 3.2213 हे० वन भूमि के अपयोजन प्रस्ताव पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अंतिम स्वीकृति (Stage-II) प्रदान करने की कृपा की जाए। साथ ही, सैद्धान्तिक स्वीकृति की अंतिम कंडिका के आलोक में परियोजना कार्यान्वयन हेतु working permission निर्गत करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
रामप्रीत
27.04.23
(राम प्रीत पासवान)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपिः– 1. क्षेत्रीय अधिकारी–बिहार, भा.रा.रा.प्रा., पटना–को सूचनार्थ समर्पित।
2. M/s SA Infrastructure को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Navneet/Hall/D: 2020 Letter

"Annexure"

Sub.: In-principle (Stage-I) approval of Central Government under Forest (Conservation) Act 1980 for diversion of 3.2213 ha forest land in favour of NHAI, PIU-Muzaffarpur for construction of Four Lane green field alignment Inter corridor from Balbhadrapur to Bela Nawada (47.00-89.21 km), NH-119D Road under Bharatmala Pariyojana in Darbhanga and Samastipur district of Bihar: **Submission of Compliance report for obtaining Stage-II/Final approval- Reg.**

Ref.: 1. MoEF&CC, IRO-Ranchi letter no. FP/BR/ROAD/155194/2022/966 dated 06.03.2023.
2. Dy. CF, DoEF&CC, Patna letter no. व.सं./71/2022-200 dated 21.03.2023.

A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

Sl. No.	Condition	Compliance
1.	The cost of compensatory afforestation on the CA land (8 ha.) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	Cost of Compensatory Afforestation (CA) amounting to Rs. 39,82,088/- & Net Present Value (NPV) amounting to Rs. 30,85,297/- (Total amount of CA & NPV Rs. 70,67,385/-) as per demand received from State Forest Department vide letter no. व.सं./71/2022-200 dated 21.03.2023 has been deposited in Bihar CAMPA account through NEFT/RTGS e-challan generated from Parivesh Portal. Copy of challan & payment receipt are enclosed. Payment UTR No. P115230237061082 dated 25.04.2023.
2.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 3.2213 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (c) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and letter No. 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 6/1/2022 in this regard.	
3.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	
4.	The KML files of the area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch	The KML files of the area to be diverted & CA area shall be uploaded

Project Director
N.H.A.I.
PIU-Muzaffarpur

	portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking Stage-II approval.	on e-Green watch portal with all requisite details.
5.	The User agency shall be uploaded/submitted duly attested (with the signature of the concerned DFO and user agency) toposheet map with clearly delineated forest land proposed for diversion on it before the issuance of Stage-II approval.	Agreed.
6.	The User agency shall be uploaded/submitted tree translocation plan before the issuance of Working Permission.	The tree translocation plan/tree protection plan has already been uploaded in Part-II on Parivesh Portal.
7.	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the Issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA 2006 certificate has been issued by District Collector, Samastipur vide letter no. 4407 dated 13.12.2022 & by District Collector, Darbhanga vide letter no. 174 dated 30.01.2023. The same has been forwarded to APCCF-Cum-Nodal Officer (CAMPA) vide DFO, Samastipur letter no. 45 dated 09.01.2023 & DFO, Darbhanga letter no. 401 dated 28.02.2023 (copies enclosed).
8.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	Agreed.
9.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	Compliance report shall be uploaded on Parivesh e-portal.

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

Sl. No.	Condition	Compliance
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Agreed.
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 8 ha. degraded forest land (Site - Manjhgaye PF, Jhajha range, Compartment No. 76, 334 & 329 under Jamui Forest Division) at the cost of the user agency, as far as possible, a mixture of local native species	Pertains to State Forest Department.

Project Director
N.H.A.I.
PIU-Muzaffarpur

	shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	
3.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	Undertaking by User Agency with regard to additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, has already been given and it is uploaded in Part-I under additional Information on Parivesh Portal.
4.	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision and permission of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. Further, in view of the State Government's recommendation, such number of trees whose removal is unavoidable, and whose translocation (species, number and girth to be decided by SFD) is practicable, will be translocated to the extent possible at the cost of user agency.	Agreed.
5.	The State Forest Department should raise Strip Plantation on both sides of the road as per the IRC norms.	Pertains to State Forest Department.
6.	(a) The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activities do not damage the nearby forest flora and fauna. (b) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	Agreed.
7.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	Agreed.
8.	(a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. (b) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life/ requirement. (c) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without	Agreed.

Project Director
N.H.A.I.
PIU-Muzaffar

	prior Approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	
9.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	Agreed.

Note: Undertaking w.r.t. conditions mentioned at para B. (1 to 9) is also enclosed.

27.04.23

Project Director
NHAI, PIU-Muzaffarpur

Project Director
N.H.A.I.
PIU-Muzaffarpur

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 21-04-2023

Agency Name.	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
Application No.	61155194114
MoEF/SG File No.	FP/BR/ROAD/155194/2022
Location.	BIHAR
Address.	Office of the project director, P.I.U., No.26, 1st Floor, V.G.P. Nagar West, Vazhudhareddy Post, Viluppuram-605401.Viluppuram
Amount(in Rs)	7067385/-

Amount in Words :Seventy Lakh Sixty-Seven Thousand Three Hundred and Eighty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506261155194114 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 21-04-2023

Agency Name.	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
Application No.	61155194114
MoEF/SG File No.	FP/BR/ROAD/155194/2022
Location.	BIHAR
Address:	Office of the project director, P.I.U., No.26, 1st Floor, V.G.P. Nagar West, Vazhudhareddy Post, Viluppuram-605401. Viluppuram
Amount(in Rs)	7067385/-

Amount in Words :Seventy Lakh Sixty-Seven Thousand Three Hundred and Eighty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506261155194114 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

केनरा बैंक Canara Bank

सिंडिकेट Syndicate

N H A I REGIONAL OFFICE PATNA e PAYMENT OF INCOME TAX 25 Apr 2023 04:56:27

DOMESTIC PAYMENT PAY NOW

Reference Number	P115230237061082
Account Type	Domestic
Account Number	1506261155194114
Account Name	BIHAR CAMPA
Bank Details	UBIN0996335
From Account	1967201001013
Paid Amount	INR7,067,385.00
Payment Date	25 Apr 2023
Purpose	197224 CAMPA

This is computer generated receipt no signature required.
Electronic Receipt owns no official legal effect, You may go to branch to get the paper receipt.

कार्यालय:वन प्रमण्डल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमण्डल, समस्तीपुर

मोहनपुर, (रा० म० विद्यालय, मोहनपुर एवं पावर ग्रीड स्टेशन के निकट), समस्तीपुर, पिन–848101,
मोबाईल– 9431048042 (Email : dfosamastipur@gmail.com & divfosamastipur-bih@gov.in)

पत्रांक–

प्रेषक

सुबोध कुमार गुप्ता,
(बि०व०से०)
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर।

सेवा में

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

समस्तीपुर / दिनांक– 2022

विषयः– समस्तीपुर जिलान्तर्गत भारतमाला परियोजना के तहत् बलभद्रपुर से बेला नवादा (47.00–89.21 कि0मी0) के बीच 04 Lane green field alignment Inter Corridor के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 1.4694 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत भारतमाला परियोजना के तहत् बलभद्रपुर से बेला नवादा (47.00–89.21 कि0मी0) के बीच 04 Lane green field alignment Inter Corridor निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव की स्वीकृति के लिये जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक– 4407, दिनांक– 13.12.2022 द्वारा FRA-2006 प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। जिसे मूल रूप में इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनु० यथोक्त।

विश्वासभाजन
(ह0 / –)
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
समस्तीपुर वन प्रमण्डल, समस्तीपुर।

ज्ञापांक– 45 दिनांक– 09.01.2023

प्रतिलिपि:– वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
समस्तीपुर वन प्रमण्डल, समस्तीपुर।

H/20-21/R.outlet

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या– 4407 दिनांक– 13/12/22

प्रमाणित किया जाता है कि **समस्तीपुर** जिले में प्रयोक्ता एजेंसी **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुजफ्फरपुर** द्वारा **भारतमाला अन्तर्गत NH-119D के बलभद्रपुर से बेला नवादा खण्ड (आमस–दरभंगा/पैकेज–IV) 4–लेन सड़क** रैखिक परियोजना निर्माण स्थान **बलभद्रपुर (कि०मी० 47.000)** से **खरसंड (कि०मी० 66.450) तक** कुल किलोमीटर **19.450** में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के **1.4694** हे० रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी **समस्तीपुर** के पत्रांक **1312** दिनांक **25.08.2022** द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदआलोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका–1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थानः– समस्तीपुर

ह०/–

तिथिः– जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

Place: Samastipur

Date:

District Magistrate and Office Seal

Scanned with CamScanner

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमण्डल, दरभंगा
दूरभाष–06272–242324 मोबाईल नं0–8986153229 ई–मेल:–dfodarbhanga@gmail.com लहेरियासराय दरभंगा–846001

पत्रांक 401 दिनांक 28-2-2023

प्रेषक,

सुबोध कुमार गुप्ता, बि0व0से0,
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मिथिला वन प्रमण्डल, दरभंगा

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

विषयः– भारतमाला परियोजना के तहत दरभंगा एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत बलभद्रपुर से बेला नवादा (47.00–89.21 कि0मी0) पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 1.7519 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि भारतमाला परियोजना के तहत दरभंगा एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत बलभद्रपुर से बेला नवादा (47.00–89.21 कि0मी0) पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 1.7519 हे0 का भूमि अपयोजन हेतु जिला पदाधिकारी, दरभंगा से FRA 2006 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न समर्पित है।

अनुलग्नक–यथोक्त

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मिथिला वन प्रमण्डल, दरभंगा

ज्ञापांक 401 दिनांक 28-2-2023

प्रतिलिपि : परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, पी0आई0यू0, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/2023

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मिथिला वन प्रमण्डल, दरभंगा

कार्यालय, **जिला पदाधिकारी, दरभंगा** के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु

FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या– 174 दिनांक– 30/01/2023

प्रमाणित किया जाता है कि **दरभंगा** जिले में प्रयोक्ता एजेंसी **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुजफ्फरपुर** द्वारा **भारतमाला अन्तर्गत NH-119D के बलभद्रपुर से बेला नवादा खण्ड (आमस–दरभंगा/पैकेज–IV) 4–लेन सड़क** रैखिक परियोजना निर्माण स्थान **सिरनिया (कि०मी० 66.450)** से **बेला नवादा (कि०मी० 89.210) तक** कुल किलोमीटर **22.760** में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के **1.7519** हे० रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी **दरभंगा** के पत्रांक **1803** दिनांक **03.09.2022** द्वारा **FRA**, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तद्आलोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका–1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थानः– **दरभंगा**

तिथिः–

30/01/2023

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जिला पदाधिकारी
दरभंगा

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

Place: **Darbhanga**

Date:

30/01/2023

District Magistrate
and Office Seal

जिला पदाधिकारी
दरभंगा

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई - मुजफ्फरपुर
पावापुरी विहार (द्वितीय तल), भगवानपुर, मुजफ्फरपुर
Project Implementation Unit-Muzaffarpur
Pawapuri Vihar (2nd Floor) Bhagwanpur, Muzaffarpur-842001
E-mail :-muz@nhai.org, piumuzaffarpur@gmail.com

सत्यमेव जयते

भा.रा.रा.प्रा NHAI
सड़के ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी

UNDERTAKING

Sub.: In-principle (Stage-I) approval of Central Government under Forest (Conservation) Act 1980 for diversion of 3.2213 ha forest land in favour of NHAI, PIU-Muzaffarpur for construction of Four Lane green field alignment Inter corridor from Balbhadrapur to Bela Nawada (47.00-89.21 km), NH-119D Road under Bharatmala Pariyojana in Darbhanga and Samastipur district of Bihar: **Undertaking for obtaining Stage-II /Final Approval - Reg.**

Ref.: MoEF&CC, IRO-Ranchi letter no. FP/BR/ROAD/155194/2022/966 dated 06.03.2023.

The user agency NHAI, Muzaffarpur hereby undertake the following:

1. That the Legal status of 3.2213 Ha. forest land diverted for the construction of the subject project shall remain unchanged.
2. That the user agency NHAI, Muzaffarpur shall deposit the amount of CA & NPV as per the conditions mentioned in Stage-I approval granted vide letter u/r. Further, additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The user agency NHAI, Muzaffarpur undertakes to deposit the additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee & on receipt of the demand from State Forest Department.
3. User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision and permission of the State Forest Department. Number of trees whose removal is unavoidable, and whose translocation (species, number and girth to be decided by SFD) is practicable, will be translocated to the extent possible at the cost of user agency.
4. (a) The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activities do not damage the nearby forest flora and fauna.
   (b) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.
5. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.
6. (a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
   (b) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life/ requirement.
   (c) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior Approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.

27.04.23

7. The user agency NHAI, Muzaffarpur further undertakes to abide any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

Project Director
NHAI, PIU-Muzaffarpur

Project Director
N.H.A.I.
PIU-Muzaffarpur

CONSTRUCTION OF 4 LANE GREEN FIELD ALIGNMENT FROM BALBHADARPUR TO BELA NAWADA UNDER BHARATMALA PARIYOJNA IN STATE OF BIHAR (FROM KM 47.000 TO KM 89.210), PROPOSED LENGTH - 42.210 KM

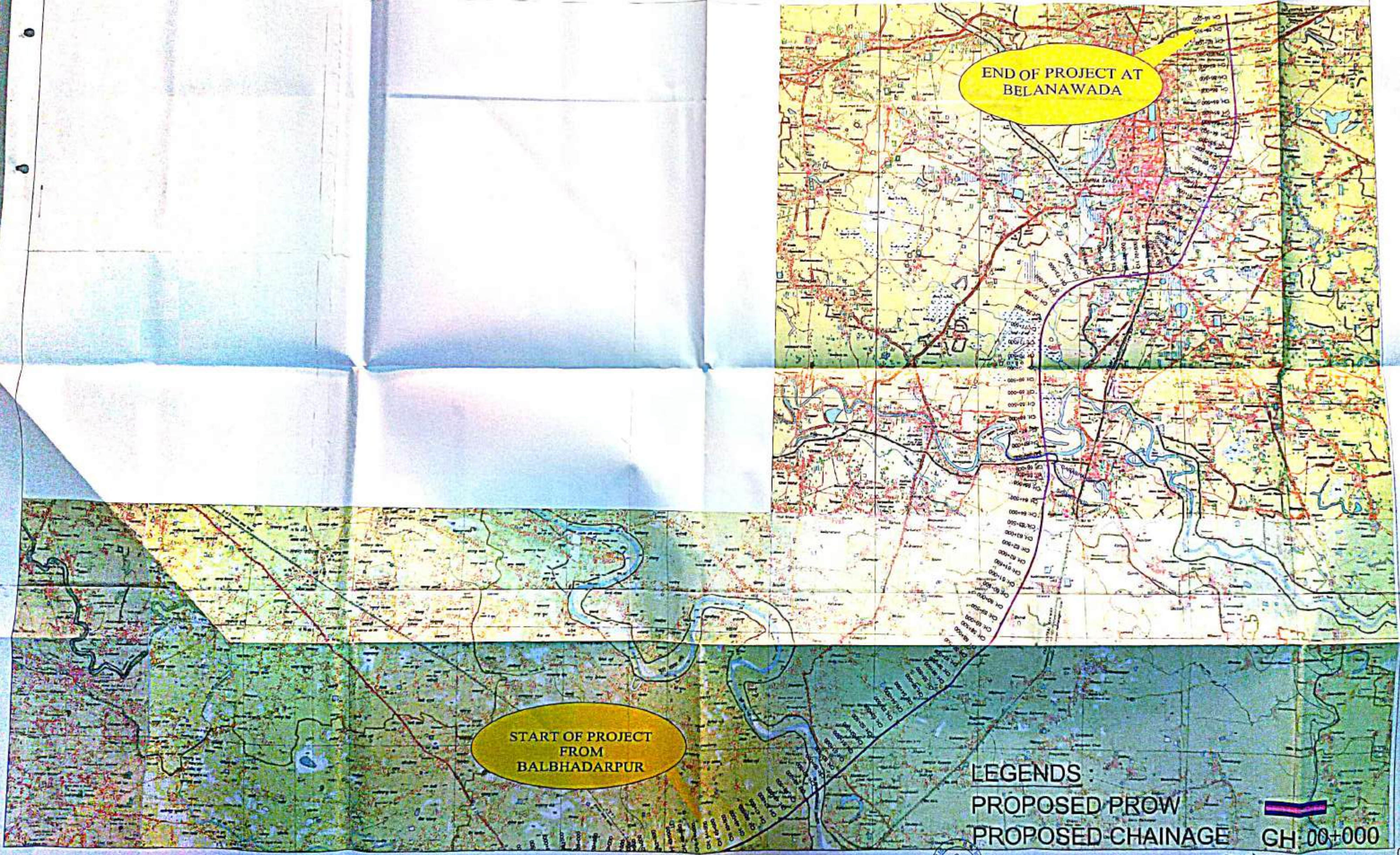

Project Director
N.H.A.I.
PIU-Muzaffarpur

DIVISIONAL FOREST OFFICER
SAMASTIPUR FOREST DIVISION

CONSTRUCTION OF 4 LANE GREEN FIELD ALIGNMENT FROM BALBHADARPUR TO BELA NAWADA UNDER BHARATMALA PARIYOJNA IN STATE OF BIHAR (FROM KM 47.000 TO KM 89.210), PROPOSED LENGTH - 42.210 KM

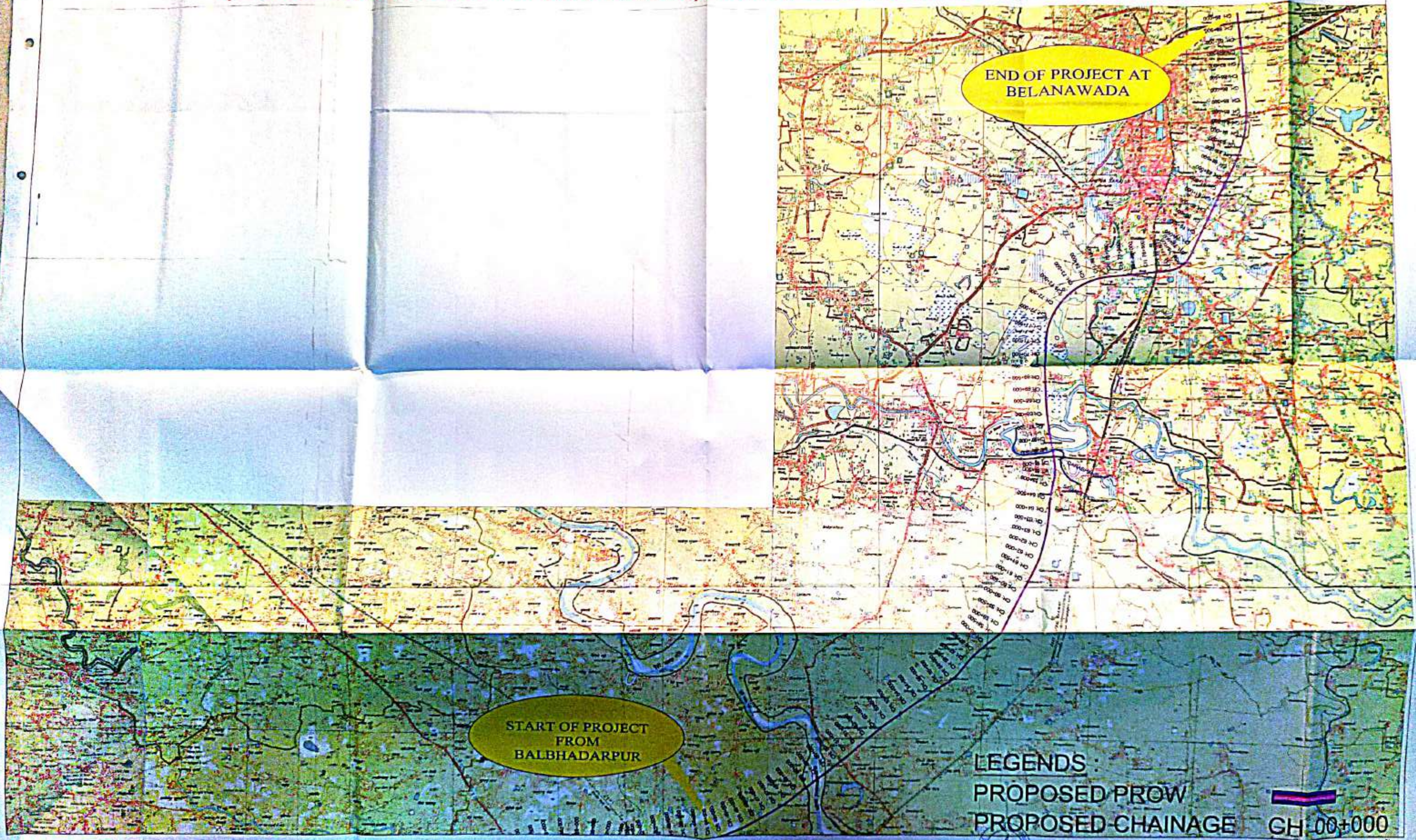

Project Director
N.H.A.I.
PIU-Muzaffarpur

Divisional Forest Officer
Mithila Forest Division
DARBHANGA